


145



न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल कम्प भोपाल १०५०१
PBR/किरानी/रायसेन/श्रु.य/२०१७/५९२२ पुनरीक्षण क्रमांक ----/२०१७

श्री राजेंद्र लाल राय
आश्रित पत्र द्वारा २९.११-१७
ला.प्र.व.स. दिनांक
२९.११.१७

नफीस खां पुत्र अहमद खां आयु ३५ वर्ष
जाति मुसलमान निवासी व कृषक ग्राम
मुरेलखुर्द तहसील व जिला रायसेन
१०५०११ - - - - - पुनरीक्षणकर्ता
विरुद्ध

पप्पूसिंह पुत्र बदनसिंह यादव आयु ४८ वर्ष
निवासी घांट पिपरिया कृषक ग्राम मुरेलखुर्द
तहसील व जिला रायसेन १०५०११ - - - उत्तरदाता

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म०५०भू०रा० संहितास १९५९
माननीय महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की और से निम्न निवेदन है :-

उत्तरदाता द्वारा अपनी स्वयं की कृषि भूमि स्थित ग्राम
मुरेलखुर्द ख. क्र. ६६/१/१/१, ६६/२, ७५/१/४ रकबा क्रमशः ०.६०७,
०.६०७, ०.४०५ प.ह.न. ५४ तहसील व जिला रायसेन का सीमांकन
हेतु राजस्व निरीक्षक मण्डल साँची को एक आवेदन सीमांकन हेतु
दिनांक १८-५-१७ को दिया गया जिसके संबंध में राजस्व निरीक्षक
व हल्का पटवारी द्वारा सीमांकन करने हेतु सूचना पत्र जारी किया
गया उक्त सूचना पत्र में पुनरीक्षणकर्ता का कहीं नाम उल्लेख नहीं किया
गया तथा उक्त सूचना पत्र में यह भी उल्लेख नहीं किया गया कि
मेड पडौसी किस तारीख को कितने बजे सीमांकन के दौरान उनकी
उपस्थिति में सीमांकन किया जायेगा। फिर भी सीमांकन वाला -
वाला दिनांक २८-५-२०१७ को किया गया जिससे दुखित होकर यह
पुनरीक्षण आवेदन माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

(Signature)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/रायसेन/भू.रा./2017/4922

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

27-12-2017

आवेदक सूचना उपरान्त भी अनुपस्थित । तीन बार आवाज
लगवाई गई, किन्तु आवेदक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ ।
अतः प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में खारिज
किया जाता है ।


अध्यक्ष